मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13/06/2024

आदेश

कमांक- 327/2094518/2024/20–3:: मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के नियम 11 (1) धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुक्रम में फीस की वृद्धियों के प्रस्तावों पर विनिश्चिय करने के लिए और फीस संबंधित विषयों के विनिमयन हेतु जिला समिति के आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिए निम्नानुसार राज्य फीस समिति गठित की जाती है:–

1.	आयुक्त, लोक शिक्षण	–	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र या केन्द्र के मिशन संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी	–	सदस्य
3.	अपर संचालक (वित्त), लोक शिक्षण	–	सदस्य
4.	मुख्य अभियन्ता, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	–	सदस्य
5.	संचालक, लोक शिक्षण	–	सदस्य सचिव

2/ मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 की धारा 12 (2) तथा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 11(3), 11(4) एवं 11(5) में उल्लेखित प्रावधानों एवं अन्य अधिनियम एवं नियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्राप्त अपीलों का निराकरण करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
13/6/24
(ओ.एल.मण्डलोई)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 13/06/2024

पृ0कमांक- 328/2094518/2024/20–3
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र., भोपाल।
4. संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.
5. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. अतिरिक्त मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
8. मुख्य अभियन्ता, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
9. अपर संचालक (वित्त), लोक शिक्षण भोपाल।
10. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
13. फोल्डर प्रति।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13/6/24
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग